न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्र0क्र0 - /03 निगरानी

सूरजसिंह पिता रुगनाथसिंह जाति खाती - आयु - 65 वर्ष निवासी भंवरा तहसील टोकखुर्द जिला देवास

--- आवेदक

विरुद्ध

1- विक्रमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह खाती आयु 45 वर्ष -

2- मदेसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति खाती आयु 50 वर्ष

3- चन्दरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति खाती आयु 47 साल

निवासीगण समस्त भंवरा तहसील टोकखुर्द जिला देवास

--- अनावेदकगण -

पुर्नरिक्षण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता -

माननीय महोदय

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन - संभाग केन्द्र उज्जन के आदेश दिनांक 3-6-03 प्र0क्र0 - 141/2003 पुनरावलोकन - से असंतुष्ट एवं दुखित निम्न कारणो के आधार पर पुर्नरिक्षण का आवेदनपत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि विद्वान अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ने उनके अधिनस्थ दोनो न्यायालयो की फाइल मंगवाए बगैर ही काल्पनिक आधार पर ही आदेश पारित किया है । आवेदक की ओरसे आग्रह - किया गया था, कि रिकार्ड मंगवा कर वस्तुस्थिति देखने की कृपा की जावे । किन्तु अपर आयुक्त महोदय ने - रेकार्ड मंगवाए बगैर ही काल्पनिक आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जो - निरस्त किए जाने योग्य है ।

3- यह कि वास्तुस्थिति इस प्रकार है कि, अनावेदकगण ने बंदोबस्त

निर-2

(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(115)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-965-तीन/2003

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 18-01-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	